2024/110

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम की ता
17/01/25	वकु० उप०। निर्णय पृथक से लिखा जाकर सुनाया गया, शा० नि० हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफतर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2025.02.28 19:49:52 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी राजस्थान

मिसल नंबर	दायरा दिनांक	पीठासीन अधिकारी
179 / प्रा0प0 / 2024	13.12.2024	हरविन्दर डी0 सिंह, आर0ए0एस0

फौरकीलाल पुत्र जवाहरीलाल जाति बैरवा निवासी आगली तहसील व जिला बून्दी राज0

—प्रार्थी

—बनाम—

1. पुष्पेन्द्र कुमार आ0 बृजमोहन जाति मेघवाल निवासी मकान नंबर 260 ए, बृजराज कोलोनी, सिविल लाईन कोटा राजस्थान।
2. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार, बून्दी जिला बून्दी राज०।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय

दिनांक—17.01.2025

उपस्थित— प्रार्थी की ओर से एडवोकेट श्री मुकेश शर्मा।
अप्रार्थी की ओर से श्री अमित गुप्ता व पेरोकार सरकार।

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि आराजी खसरा 579/347 रकबा 2.1532 हेक्टेयर ग्राम कोटखेडा तह० व जिला बून्दी राज० में विस्थित हैं जिसका प्रार्थी खातेदार हैं एवं खातेदार के रूप में भूमि का उपयोग उपभोग करने का अधिकार प्रार्थी को हैं। उक्त वर्णित आराजी पर कृषि कार्य करने हेतु प्रार्थी की भूमि पर जाने का कोई रास्ता नही हैं, प्रार्थी अपनी भूमि पर आराजी खसरा सं० 356, जो अप्रार्थी सं० 1 के खाते में हैं तथा शेष खसरा संख्या 357 जो अप्रार्थी क्रम 2 के खाते में राजस्व रेकार्ड में अंकित हैं, से होकर जाता हैं। उक्त अप्रार्थीगण की भूमि से जाने वाला रास्ता का राजस्व रिकोर्ड में अंकन नहीं होने से अप्रार्थीगण प्रार्थी को परेशान करते हैं। मौके पर विवाद की सम्भावना बनी रहती हैं। प्रार्थी की भूमि पर प्रार्थी की भूमि के नीचे की ओर जाने हेतु खसरा सं० 356 में उपर की तरफ तथा खसरा सं0 357 में भी नीचे की ओर आवश्यक भूमि का राजस्व रिकोर्ड में रास्ते के रूप में अंकन आवश्यक हैं। नजरी नक्शा संलग्न हैं। खसरा सं0 356 में करीब 1100 वर्ग मीटर तथा 357 में करीब 125 वर्ग मीटर भूमि रास्ते [illegible] यक होगी, जिसके लिये प्रार्थी नियमानुसार शुल्क जमा कराने को तैयार हैं। [illegible] के अलावा अन्य कोई रास्ता आवागमन हेतु नहीं [illegible] इसलिये संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार भूमि रास्ते हेतु राजस्व रिकोर्ड में अंकित किया जाना आवश्यक हैं। प्रार्थी द्वारा इत्यादि अंकित कर निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार [illegible] जाकर चरण क्रम 1 में वर्णित आराजी पर जाने हेतु अप्रार्थीगण की भूमि से आवश्यक भूमि रास्ते हेतु राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2025.02.28 19:49:52 IST
Reason: SelfAttested